भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +3353
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने हेतु कदमः

+3353. श्री बालक नाथः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की कोरोना महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सहायता हेतु अनेक वित्तीय एवं विनियामक राहत उपायों की घोषणा की हैI इनका विवरण **अनुबंध** में दिया गया हैI

(ग) और (घ): मंत्रालय ने प्रत्येक स्तर पर पर्यटन सेवाप्रदाताओं के शिक्षण, प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए 'सेवाप्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)' योजना प्रारंभ की हैI इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवा के प्रत्येक स्तर पर श्रम शक्ति का प्रशिक्षण और उन्नयन करना तथा स्थानीय लोगों को व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ-साथ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार प्रदान कर सकने योग्य क्षमता का सृजन करना हैI वर्तमान में सीबीएसपी योजना के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों में हुनर से रोजगार तक (एच एस आर टी), मौजूदा सेवाप्रदाताओं के लिए कौशल परीक्षण एवं प्रमाण (एसटीएंडसी), पर्यटन एडवेंचर तथा एस्कॉर्ट पाठ्यक्रम, भाषाई पर्यटक सेवाप्रदाता (एलटीएफ) संवेदीकरण कार्यक्रम/ पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम (मौजूदा सेवाप्रदाताओं के लिए) और उद्यमिता कार्यक्रम शामिल हैंI

उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने गंतव्य आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया है ताकि पर्यटन सेवाप्रदाता दूर दराज के शहरों जहां सामान्यतः ऐसे संस्थान अवस्थित होते हैं, की यात्रा किए बिना इन पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकें और इस तरह यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सेवाप्रदाता अप्रशिक्षित न होI

****

अनुबंध

पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने हेतु कदम के सम्बन्ध में दिनांक 09.08.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या 3353 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय और राहत उपाय निम्नलिखित हैं, जिनसे पर्यटन उद्योग को लाभ होने की आशा की जाती है:-

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने का ऋण-स्थगन होगी।

ii. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।

iii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर प्रत्येक के लिए 10% कर दिया।

iv. स्रोत पर कर एकत्रण (टीसीएस) को अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया।

v. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगित, बाकी पर 9% की दर से दंडात्मक ब्याज।

vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 महामारी के संकट के मद्देनजर अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत दी।

vii. भारतीय रिजर्व बैंक ने आवधिक ऋण पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया।

viii. वित्तवर्ष 2019-20 में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) को लागू करने के लिए धन का उपयुक्त प्रावधान अब वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है।

ix. भारत सरकार ने पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की है।

x. ईसीएलजीएस 3.0 की शुरूआत के साथ आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। यह योजना 31.03.2021 तक वैध है।

xi. ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 30 जून 2021 या ₹3 लाख करोड़ रुपए की राशि की गारंटी जारी किए जाने तक बढ़ा दिया गया हैI इस योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई हैI

xii. भारतीय रिजर्व बैंक ने संपर्क प्रधान क्षेत्रों के लिए ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो की घोषणा की है: 31 मार्च, 2022 तक के लिए 15000 करोड़ रुपए की एक अलग लिक्विडिटी विंडो खोली जा रही है जो रेपो रेट पर 3 वर्ष की अवधि तक के लिए खुली रहेगीI इस योजना के तहत बैंक होटल, रेस्तरां, यात्रा एजेंट, टूर ऑपरेटरों, विमानन संबंधी अनुषंगी सेवाओं और निजी बस ऑपरेटरों, रेंट-ए-कार सेवाप्रदाताओं, आयोजन प्रबंधकों, स्पा क्लीनिक आदि सहित अन्य सेवाओं को नए सिरे से ऋण सहायता दे सकते हैंI

xiii. 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइड/यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायताI कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए नई ऋण गारंटी योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के लोगों को कोविड-19 से प्रभावित होने के बाद की देनदारियों के निर्वहन और बहाली के लिए कार्यशील पूंजी/व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगाI इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के 10700 पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारक (टीटीएस) शामिल होंगेI प्रत्येक टीटीएस 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे जबकि प्रत्येक पर्यटक गाइड को ₹1 लाख तक का ऋण मिल सकता हैI कोई प्रसंस्करण प्रभार नहीं होगा, फोरक्लोजर/ पूर्व भुगतान शुल्क में छूट तथा अतिरिक्त कॉलेटरल की कोई आवश्यकता नहीं होगीI यह योजना एनजीटीसी के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली हैI

xiv. 5 लाख तक मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, वीजा जारी होने के बाद, पहले पांच लाख पर्यटक वीजा मुफ्त में जारी किए जाएंगे। पहले पांच लाख पर्यटक वीजा (नि:शुल्क वीजा) जारी करने के दौरान

प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी।

xv. वित्त मंत्रालय ने 16 जून, 2021 को एसईआईएस स्क्रिप् जारी करने की सहमति दी हैI इससे पहले कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप जारी करने हेतु सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव रखा थाI सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने संबंधी वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त पर सहमति दी है कि यह राशि व्यय बजट के माध्यम से नए लघु शीर्ष उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के बाद प्रदान की जाएगी।

xvi. अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के माध्यम से, "प्रदर्शन-सह-सम्मेलन केंद्र" को एक फुटनोट के साथ, प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र को परिभाषित करते हुए, "सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना" की श्रेणी में एक नई वस्तु को सम्मिलित करके अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया है।

xvii. मंत्रालय में कई दौर की चर्चाओं और विचार-मंथन सत्रों के माध्यम से उद्योग के हितधारकों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहा है और उनके सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की है। ऐसे सभी प्रस्तावों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उठाया गया है। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित राहत उपायों से संबंधित मुद्दों को उनके साथ उच्चतम स्तर पर उठाया गया है।

xviii. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।

xix. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।

xx. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

xxi. इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 08.12.2020 को पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जो जनवरी, 2021 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीनशूट/स्टार्ट-अप एजेंसियों की श्रेणी पहली बार शुरू की जा रही है। यह स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के अनुरूप है और यह 'आत्मनिर्भर भारत' की नीति को भी आगे बढ़ाएगा।

xxii. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है।

xxiii. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटन द्वारा किया जाएगा, मंत्रालय ने ''देखो अपना देश'' के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला की व्यवस्था शुरू की। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और साथ ही हितधारकों, छात्रों और आम जनता के बीच रुचि बनाए रखना है।

xxiv. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुन: अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

xxv. पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों की मान्यता को स्वचालित रूप से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए आवेदन जमा किए हैं, उन्हें आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने तक छह महीने के लिए अनंतिम मान्यता दी गई है।

xxvi. विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

****